



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 203-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017 (KARTIKA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर, 2017

संख्या 129/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका सकल आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ पचास लाख रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा विस्तृत विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय जो नीचे दी गई सारणी के खाना 2 में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के खाना 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय अवधि तक किया गया है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
1	2	3
1.	जुलाई—सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्टूबर—दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी—मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के मास के लिए, ब्यौरों या विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चात्पूर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2017

No. 129/ST-2.- In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby, notifies that the registered persons having aggregate turnover upto One Crore Fifty Lakh rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column 2 of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column 3 of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
1	2	3
1	July - September, 2017	31st December, 2017
2	October - December, 2017	15th February, 2018
3	January - March, 2018	30th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

SANJEEV KAUSHAL,
 Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
 Excise and Taxation Department.